कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
(शासकीय स्वशासी संस्था) महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई, इन्दौर

कार्यालय दूरभाष नंबर :– 0731–2527383, 2527679
फैक्स नंबर :– 0731–2514628

ईमेल :– deanliabrary@gmail.com
वेबसाईट :– www.mgmmcindore.in

कमांक / 2869 / स्था / एस.ओ.ई / स्वशासी / 2022 इन्दौर ,दि. 18/2/22

/ / कार्यालय आदेश / /

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक एफ 2–20 / 2020 / 1 / 55, भोपाल दि. 17.11. 2020 द्वारा प्रथमतः म.प्र. के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्सेस से उत्तीर्ण उम्मीदवारों से पदपूर्ति किए जाने के निर्देश प्राप्त होने के फलस्वरूप म.प्र. के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पेरामेडिकल कोर्सेस से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को **स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई, इन्दौर के रिक्त पदों पर निर्धारित वेतनमान में नियुक्ति प्रदान करते हुये कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है:–**

No	Name of Candidate	CATEGORY		Post	Pay Scale
		Candidate Category	Selection Category		
1	MANISH SANVLE	SC	UR	OT TECHNICIAN	5200–20200+2800 (28700-91300)
2	BABUSSALAM	OBC	UR	OT TECHNICIAN	5200–20200+2800 (28700-91300)
3	CHETAN VERMA	OBC	OBC (Non Creamy Layer)	OT TECHNICIAN	5200–20200+2800 (28700-91300)
4	BRIJPAL VASCALE	ST	ST	OT TECHNICIAN	5200–20200+2800 (28700-91300)
5	SAPNA TAWAR	ST	ST	OT TECHNICIAN	5200–20200+2800 (28700-91300)
6	NEHA JHARIYA	SC	SC	OT TECHNICIAN	5200–20200+2800 (28700-91300)

आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :–

1. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अथवा कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात् जिला चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं स्वस्थ्यता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) तथा म.प्र. शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
3. म.प्र.शासन वित्त विभाग की अधिसूचना कं.एफ–9 / 3 / 2005 / नियम / चार, दि. 02.04.05 के अनुसार आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना कं. एफ–5 / 1 / 2005 / नियम / चार,दि. 02.04.05 के अनुसार म.प्र. सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होगें।
4. चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम 7 दिवस में अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा। कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में अनुबंध अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जावेगी।
5. आपकी सेवायें किसी भी समय नियोक्ता द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी।
6. **इनकी नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित परिश्रमिक रूपयें 10,000 / – प्रतिमाह पर की जावेगी। 03 माह पश्चात उक्त कर्मचारियों की परीक्षा ली जावेगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही अभ्यार्थियों को नियमित स्थापना के पदों में नियुक्त किया जावेगा। नियमित स्थापना पश्चात आपकी नियुक्ति म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप कमांक सी,3–13 / 2019 / 3 / एक भोपाल, दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार 3 वर्ष की परीविक्षा अवधि पर उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वतीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी । परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रांरभ किया जाएगा ।**
7. आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण–पत्र / अभिलेख गलत पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
8. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति / जनजाति / अपिव / महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
9. आपकी नियुक्ति इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
10. एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात् आपकी सेवाएँ अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं होगी।
11. उपस्थिति दिनांक को संपूर्ण प्रमाण–पत्र, उपाधियॉ एवं अन्य प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियॉ जमा करना होगी तथा मूल प्रतियॉ प्रस्तुत करना होगी।
12. संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनैतिक अथवा किसी भी अवैध गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
13. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय अथवा उपस्थित दिनांक के 3 माह के भीतर सह चिकित्सकीय परिषद् का रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी सेवायें स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
14. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वैरिफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही मान्य होगी।
15. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हडताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

16. शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तो मे परिवर्तन किये जा सकते है। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तो में भी हो सकता है।
17. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी।
18. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय जन्मतिथि बाबद् प्रमाण –पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण–पत्र, की छायाप्रति एवं अन्य वांछित प्रमाण–पत्र, दो सेवा पुस्तिका तथा रू.3/– का ट्रेजरी चालान प्रस्तुत करना होगा।?
19. आपको न्यूनतम 03 वर्ष की सेवाऐं देने हेतु अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर आपकों 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
20. संबंधित को नियुक्ति हेतु शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(डॉ. संजय दीक्षित)
अधिष्ठाता,
म.गां.स्मृ.चिकि.महाविद्यालय इन्दौर

क्रमांक/ /स्था/एस.ओ.ई/स्वशासी/2022 इन्दौर ,दि.

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म0प्र0 भोपाल।
3. प्रभारी संचालक, स्कूल आफ आई एक्सीलेंस, इन्दौर
4. लेखा शाखा स्थानीय कार्यालय, इन्दौर की ओर भेजकर लेख है कि उक्त कर्मचारियों की नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित परिश्रमिक रूपयें 10,000/– प्रतिमाह पर की जावेगी, 03 माह पश्चात परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को नियमित स्थापना के पदों में नियुक्त होने के पश्चात म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक सी, 3 –13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देश के बिन्दु ''ब'' के अनुसार वेतन आहरण की प्रक्रिया अपनाई जावें ।
5. सिविल सर्जन गोविन्द वल्लभपंत मेडिकल बोर्ड जिला चिकित्सालय धार रोड इन्दौर ।
6. संबंधितों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
7. कार्यालय आदेश नस्ति।

(डॉ. संजय दीक्षित)
अधिष्ठाता
म.गां.स्मृ.चिकि.महाविद्यालय, इन्दौर